माननीय श्री जी0 आर0 मजिठिया के समक्ष, न्यायमूर्ति

डी सी, अग्रवाल - याचिकाकर्ता

बनाम

स्टेट बैंक आफ इंडिया अदि - उतरदाता/प्रतिवादी

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 15874 आफॅ 1995

9 अप्रैल 1991

भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षक कर्मचारी) सेवा नियम, 1975- नियम 32(3) एवं (4) एवं 51(2)-भारत का संविधान, 1950- कला। 12, 14, 16 और 226 - कदाचार-जांच दंड-जांच अधिकारी द्वारा सभी प्रमुख आरोपों में से दो को छोड़कर अन्य दोषी को दोषमुक्त करना, छोटी-मोटी प्रक्रियात्मक खामियां-मेन्स रीया स्थापित नहीं होना-रैंक में कमी का बड़ा जुर्माना लगाते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करना- दोषी कर्मचारी को रिपोर्ट नहीं बताई गई - रिपोर्ट न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी कर्मचारी वित्तीय लाभ नहीं ले रहा है। बैंक को वित्तीय नुकसान हो रहा है तथा कटौती का जुर्माना अनुचित है। लगाई गई सजा साबित किए गए आरोपों के अनुपात से बाहर है प्रत्यावर्तनध्कमी का आदेश रद्द किया जा सकता है-भारतीय स्टेट बैंक कला के तहत एक 'प्राधिकरण' है। 12 और संवैधानिक दायित्वों के अधीन - आदेश के खिलाफ अपील - कार्यकारी समिति के सदस्यों सहित केंद्रीय बोर्ड द्वारा सुनवाई की आवश्यकता - कार्यकारी समिति के सदस्यों की गैर-भागीदारी - अपील पर कोई प्रभावी विचार नहीं - अपील का समाधान प्रभावी होना चाहिए न कि केवल औपचारिकता होनी चाहिए।

माना गया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं नहीं की गईं। याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के संबंध में जांच अधिकारी के निष्कर्षों को निरर्थक बना दिया गया है क्योंकि ये बेईमानी से नहीं किए गए थे। हालांकि जांच अधिकारी ने

तकनीकी रूप से पाया कि आरोप संख्या 1(2) सिद्ध हो गया और आरोप संख्या II(1) आंशिक रूप से सिद्ध हो गया, फिर भी उनके इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि कोई आपराधिक मामला नहीं था, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका।

(14 के लिए)

माना गया कि प्रतिवादी-बैंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक दायित्वों के अधीन है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण याचिकाकर्ता को ऑडी अल्टरनेटम पार्टम के सिद्धांत के लाभ से वंचित नहीं कर सकता था। परिवादियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण प्रतिवादी संख्या 3 ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से अलग होने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियों और राय को ध्यान में रखा। किसी भी सामग्री जो एक अपराधी अधिकारी के खिलाफ उसके पूर्वाग्रह के लिए नियोजित की जाती है, उसे उसके ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में उसकी अपनी बात हो सके। यह संभव है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपना कारण दिया हो और याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत राय व्यक्त की हो,।

पहरा न0 17

माना गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से असहमत थे और उन्होंने माना कि कुछ आरोपी साबित हुए और उस निष्कर्षण पर पहचानें के लिए उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिर्पोट पर भी विचार किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रस्तावित सजा के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए याचिकाकर्ता को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिर्पोट या जांच अधिकारी की रिर्पोट से असहमति के कारणों के अलावा, इस निर्णय के आधार पर भी, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है।

पहरा न0 21

माना जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उन मामलों को कठोरता से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का दावा करता है।

पहरा न0 22

माना गया कि प्रतिवादी-बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार एक प्रभावी उपाय होना चाहिए न कि केवल औपचारिकता। अपील की सुनवाई बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की जानी है और कार्यकारी समिति के सदस्य भी केंद्रीय बोर्ड का गठन करते हैं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपील की सुनवाई के समय कार्यकारी समिति के सदस्यों की गैर-भागीदारी अपील पर प्रभावी विचार नहीं होगी। मौजूदा मामले में, यह पता चलता है कि कार्यकारी समिति और केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों की बैठक एक ही दिन हुई और जब याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर विचार करने का समय आया है। कार्यकारी समिति के सदस्य बैठक से हट गए और अन्य सदस्यों ने विचार-विमर्श कर अपील का निपटारा कर दिया। इस पाठ्यक्रम की सराहना नहीं की जा सकती।

पहरा न0 27

यह माना गया कि, यह मानने के कारण कि नेटिशनकर्ता केवल निर्वाह भत्ते के भुगतान का हकदार होगा, पूरी तरह से अवैध है। एनॉयर‘‘ अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व-नार्टो कार्यवाही की और कार्यवाही को स्थगित करने से इनकार कर दिया जब उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। जांच अधिकारी की कार्रवाई को रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई में 1983 का नंबर 1955 अदालत। सर्वोच्च न्यायालय में अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से एक जांच अधिकारी को नए सिरे से नियुक्त किया जाए, जो जांच का निपटान करेगा। जांच कार्यवाही के समापन में देरी, यदि कोई हो, के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि दोष उत्तरदाताओं का है।

(पहरा न0 31)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, प्रार्थना करते हुए कि परमादेश, उत्प्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट निर्देश या आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए -

(i) मामले का पूरा रिकार्ड तलब करना

(ii) अनुबंध पी-9, पी-11, पी-19, पी-20 पर दिए गए आदेशों को रद्द करना पी-22 और पी-24 और नियम 50(1) (ii) और 50ए (7) (ii)य

(iii) प्रतिवादी बैंक को सभी परिणामी राहतें जैसे वरिष्ठता का निर्धारण, वेतन का बकाया आदि 10 प्रति शत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देने का निर्देश देना।

(iv) कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे

(v) कृपया याचिका की लागत भी प्रदान की जा सकती है।

(vi) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने और अग्रिम सूचना की सेवा से संबंधित शर्त को कृपया समाप्त किया जाए

वी.के. बाली, सीनियर. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव आत्मा राम और अनिल खेत्रपाल अधिवक्ता हैं

प्रतिवादियों की ओर से आर.के. छिब्बर, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद छिब्बर, अधिवक्ता के साथ।

घोषणा के समय राजीव आत्मा राम और आनंद छिब्बर।

निर्णय

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई 1981 के निलंबन आदेश पर आपत्ति जताई है। आरोप पत्र दिनांक 31 अगस्त 1981, प्रबंध निदेशक (अनुशासनिक प्राधिकारी) द्वारा प्रस्तुत कार्यकारी समिति को दिनांक 31 अक्तूबर 1987 का ज्ञापन 4 नवंबर 1987 का ज्ञापन, जिसमें प्रबंध निदेशक द्वारा तैयार केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक के कार्य वृत्त का उद्धरण शामिल है। आदेश दिनांक 20 मार्च 1989 पारित किया गया, अपील पर केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति को प्राथमिकता दी गई। याचिकाकर्ता द्वारा और कार्यकारी समिति के लिए 9 सितंबर 1982 का ज्ञापन (13 अक्तूबर 1982 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया।

(2) तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है-

(3) याचिकाकर्ता का विधा सम्बंधी जीवन शानदार है तथा वह अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री के साथ पंजाब विश्वविधालय से स्वर्ण पदक विजेता है। बैंकर्स संस्थान और सहयोग और औद्योगिक वित्त में डिप्लोमा धारक उन्होंने ग्रामीण विकास पर बड़ी संख्या में शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें से कुछ योजना आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किए गए और इकोनॉमिक टाइम और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसी विभिन्न प्रतिष्ठित वित्तीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। वह जनवरी 1960 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 की सेवा में शामिल हुए कि उन्हें माह नवंबर, 1909 से स्टाफ ऑफिसर ग्रेड-III के रूप में, दिसंबर, 1973 में स्टाफ ऑफिसर ग्रेड-II के रूप में और दिसंबर में स्टाफ ऑफिसर ग्रेड-1 के रूप में पदोन्नति किया गया था। 1976 और क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर शाखा प्रबंधक के रूप में धन बाद में तैनात हुए। उन्हें 27 अगस्त, 1980 से शीर्ष कार्यकारी ग्रेड V। में पदोन्नति किया गया था और हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (उप प्रबंधक के रूप में पुनः नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था, कि बैंक धनबाद में प्रीमिक्स पिछले 60 वर्षों से इसके पट्टे पर थे और जमींदारों और ट्रस्टियों के बीच मुकदमेबाज के कारण दयनीय स्थिति में थे। याचिकाकर्ता को पटना स्थानीय प्रधान कार्यालय के नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा परिसर, समस्याओं को युद्ध स्तर पर हल करने और नवीनीकरण और परिवर्धन करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने स्थानीय प्रधान कार्यालय, बैंक और ग्राहकों की पूरी संतुष्टि के साथ उसे सौंपा गया कार्य पूरा किया तथा उनहे रोल ऑफ आनर्स से सम्मानित किया गया और अधिकारियों और लिपिक कर्मचारियों के संघों ने राज्य स्तर पर सामान्य निकाय की बैठक में काम की सराहना करते हुए विभिन्न प्रस्ताव पारित किए। उसके द्वारा किया गया, 13 फरवरी, 1980 को मुहम्मद में मुहम्मद ईशाक द्वारा दायर एक शिकायत। मुहम्मद इशाक, एक छोटा ठेकेदार, से बैंक परिसर के अतिरिक्त निर्माण के संबंध में आरोप बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त हुए थे। जांच के दौरान शिकायत में आरोपों की पुष्टि करने के लिए बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुआ और जांच अधिकारी द्वारा शिकायत को अप्रमाणित और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया गया, याचिकाकर्ता को कॉम पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया था। उसने जो शिकायत की, उस पर मामला बंद कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा शीर्ष कार्यकारी ग्रेड vi में चयनित और पदोन्नति किया गया। दिनांक 27 अगस्त, 1980 से प्रतिवादी-बैंक के निदेशक और उन्हें मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (बाद में उप महाप्रबंधक के रूप में पुनः नामित), हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के रूप में तैनात किया गया था। मुहम्मद इशाक द्वारा 13 फरवरी, 1980 की शिकायत (जो याचिकाकर्ता की टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद दायर की गई थी) को 20 अगस्त, 1980 को फिर से खोला गया और श्री एम.एस. कपुस्वामी, मुख्य प्रबंधक, पटना को प्रारंभिक जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, कि श्री कपुस्वामी की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की पदोन्नति 31 अक्तूबर, 1980 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रोक दी गई थी। जो कि अपनी

नई नियुक्ति की शक्तियोंध्कार्यों का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता से पूछा गया था धनबाद कार्यालय का आपात कालीन प्रभार सौंपना और बिना किसी कर्तव्य के उस कार्यालय से जुड़े रहना और उस अधिकारी के अधीन रहना जो उससे बहुत कनिष्ठ था। याचिकाकर्ता को विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्होंने इस तथ्य के बावजूद वहां रिपोर्ट किया था कि विशेष कर्तव्य अधिकारी का कोई पद नहीं था, । मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जारी पत्र दिनांक 5 दिसंबर, 1980 के माध्यम से, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना में उन्हें श्री एम.एस. कपुस्वामी, मुख्य प्रबंधक, पटना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। लेकिन अनुरोध के बावजूद उन्हें प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई-कि उन्होंने 23 दिसंबर, 1980 को बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अग्रिम प्रतियों के साथ प्रतिवादी बैंक को व्यापक उत्तर दिया। स्पष्टीकरण की विधिवत जांच की गई और उसे स्वीकार कर लिया गया। 31 अक्तूबर, 1980 के आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की पदोन्नति को स्थगित रखा गया था। केंद्रीय कार्यालय, बॉम्बे के टेलीग्राम दिनांक 2 जनवरी, 1981 के माध्यम से रद्द कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को शर्तों के अनुसार चंडीगढ़ में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में अपने नए कार्य-भार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता को 6 जनवरी, 1980 को पटना से कार्यमुक्त कर दिया गया और उसने अगले दिन नया कार्य-भार संभाल लिया केंद्रीय कार्यालय, बॉम्बे का यह निर्णय संकेत करता है-कि 13 फरवरी 1980 की शिकायत, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनी, को मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालने की अनुमति देने से पहले गहराई से देखा गया और सभी कोणों से जांच की गई। याचिकाकर्ता के काम की प्रतिवादी बैंक के चंडीगढ़ स्थानीय प्रधान कार्यालय में सराहना की गई और निम्नलिखित नोट दर्ज किया गया

महाप्रबंधक (संचालन):- मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ अच्छा संपर्क बना रहता है। सरकारी अधिकारी और अधिकांश लोग उसे जानते हैं - मंत्रियों सहित महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी उनके प्रयासों और सरकार के साथ अच्छे संपर्कों के लिए अधिकारियों, हरियाणा क्षेत्र अच्छी जमा राशि सुरक्षित करने में सक्षम रहा है‘‘

श्री आर. पी. गोयल ने 17 फरवरी, 1981 को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में पद भार संभाला, उन्होंने याचिकाकर्ता के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया क्योंकि फरवरी, 1977 में उन्होंने उसे चेतावनी दी थी और बाद में उसे इसे वापस लेना पड़ा। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक, नई दिल्ली के पद पर रहते हुए, उन्होंने तीन साल के लिए कर्मचारी अधिकारी प्रथम श्रेणी के रूप में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करने से इनकार कर

दिया था। याचिकाकर्ता ने बैंक के अध्यक्ष को एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका साक्षात्कार लेने और उनके अभ्यावेदन पर गौर करने के बाद, उन्हें 17 अप्रैल, 1978 को सभी परिणामी कार्रवाई के साथ क्रमशः कर्मचारी अधिकारी, ग्रेड- ii और कर्मचारी अधिकारी ग्रेड -1 के रूप में पदोन्नति किया। लाभ और अनुलाभ और ऐसा करते समय, अध्यक्ष ने श्री गोयल के खिलाफ सख्त कदम उठाए- जिसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया और साथ ही उन्हें अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। फरवरी, 1981 में उप प्रबंध निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने पर, श्री गोयल मुहम्मद इशाक द्वारा दायर दिनांक 13 फरवरी, 1980 की शिकायत के बंद अध्याय को फिर से खोला गया। याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण फिर से मांगा गया- पत्र दिनांक 23 अप्रैल 1981 के माध्यम से याचिकाकर्ता ने, दिनांक 10 अप्रैल, 1981 के पत्र के माध्यम से बैंक से अनुरोध किया कि वह उसे निरीक्षण करने की अनुमति दे वह रिकार्ड जिस पर आरोप आधारित थे। याचिकाकर्ता को रिकार्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दिए बिना, बैंक ने 30 अप्रैल, 1981 के अपने पत्र के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग को आरोपों की एक सूची (सहित) के साथ एक संदर्भ दिया कुछ को तो बैंक के 5 दिसंबर, 1980 और 23 मार्च, 1981 के पत्रों में भी शामिल नहीं किया गया, ताकि यह सलाह दी जा सके कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए या नहीं। सतर्कता नियमावली के अनुसार, आरोपपत्रित अधिकारी का बचाव संस्करण केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाना आवश्यक है, जबकि उसकी सलाह को रोक दिया गया था: बैंक ने 30 अप्रैल, 1981 के अपने संचार में गुमराह किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने यह कहते हुए कि ‘‘याचिकाकर्ता के पास देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था और आयोग ने 7 जुलाई, 1981 को अपने पत्र में बैंक को सलाह दी कि यदि ऐसा मामला है, तो याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया जाना चाहिए यह अनुरूप सलाह उत्तरदाताओं द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से एकत्र की गई थी और 11 जुलाई, 1981 को निलंबन का आदेश उक्त सलाह जारी होने के चार दिनों के भीतर पारित किया गया था। जबकि याचिकाकर्ता को रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए पटना जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उन्हें केवल उन्हीं दस्तावेजों का निरीक्षण करने की पेशकश की गई। जिन्हें पटना के अधिकारियों ने उचित समझा था और यहां तक कि उन मामलों में भी उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निरीक्षण किए गए दस्तावेजों की प्रतियां याचिकाकर्ता को टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की सेवाएं लेने से भी मना कर दिया गया था। यहां तक कि कुछ नोट्स जो याचिकाकर्ता ने लंबे हाथ में ले लिए थे, उन्हें महाप्रबंधक (योजना) श्री के. सी. थमाया के निर्देशों के तहत नष्ट कर दिया गया था। निरीक्षण उसी दिन यानि 5 जून, 1981 को रुक गया। याचिकाकर्ता ने 8 जून, 1981 को चंडीगढ़ में अपने मुख्यालय लौटने पर इन सभी तथ्यों को अपने नियंत्रण प्राधिकारी के ध्यान में लाया। मुख्य महाप्रबंधक, चंडीगढ़ स्थानीय प्रधान कार्यालय, -अपने पत्र संख्या सी आर एमध्1203ए दिनांक 8 जून, 1981 द्वारा। निलंबन आदेश 11 जुलाई 1981 को पारित किया गया था। याचिकाकर्ता को 8 जुलाई 1981 के पत्र के माध्यम से एक अल्टीमेटम देने के 7 दिनों के भीतर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो बैंक यह मान लेगा कि उसके

पास कहने के लिए कुछ नहीं है। याचिकाकर्ता 16 जुलाई 1981 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एनआईए के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना 11 जुलाई 1981 को निलंबन का आदेश पारित करने में जल्दबाजी की। जबकि निलंबन के बाद याचिकाकर्ता को अपना आधिकारिक आवास खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं हुए थे और अभी भी जांच चरण में थे और वह बैंक का कर्मचारी बना हुआ है। याचिकाकर्ता के इनकार पर, बैंक अधिकारियों ने निर्देश दिया कि आधिकारिक आवास पर कथित अनधिकृत कब्जे के लिए याचिकाकर्ता के भविष्य निधि से 1750 रुपये प्रति माह की वसूली की जाएगी। कि- 31 अगस्त 1981 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता को एक आरोप-पत्र सौंपा गया था और उसे 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, अन्यथा बैंक इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि उसके पास देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। श्री दविंदर सिंह को जनवरी 1981 में जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी जगह एक श्रीमती ज्योत्सना देईश को नियुक्त कर दिया गया तथा3ू जांच की कार्यवाही 27 मई, 1982 को शुरू हुई।

(4) याचिकाकर्ता ने निलंबन आदेश और आरोप-पत्र को इस न्यायालय में 1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 208 में चुनौती दी, लेकिन 13 अप्रैल 1983 के फैसले के तहत इसे तुरंत खारिज कर दिया गया। 1983 को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अक्तूबर, 1983 के आदेश के तहत उसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रद्द कर दिया था:-

‘‘विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है। हमारे समक्ष उठाए गए सभी बिंदु याचिकाकर्ता अंतिम आदेश पारित करने से पहले संबंधित प्राधिकारी के समक्ष ले जाने के लिए खुले होंगे।‘‘

इस आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यावेदन दिनांक 8 नवम्बर 1983, यानी, कार्यकारी समिति कि जब जांच कार्यवाही चल रही थी, जुलाई, 1983 में याचिकाकर्ता को दिल का दौरा पड़ा और उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया। याचिकाकर्ता के स्थान के अनुरोध को जांच अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया, जिसने उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की और बचाव साक्ष्य को बंद कर दिया और एक पक्षीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रबंध निदेशक ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी की कार्रवाई को रिट याचिका संख्या 1955ध्1083 के माध्यम से

दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। जिसे खारिज कर दिया गया याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 1955ध्1983 में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को विशेष आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। 1984 की अपील संख्या 10139 की अनुमति और 20 दिसंबर 1984 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया –

‘‘केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक जांच अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है जो बंद किए गए चरण से जांच को फिर से खोल देगा। वह भारतीय स्टेट बैंक को ऐसे नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति देगा जो वह चाहे। स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अन्य गवाह भारत को याचिकाकर्ता द्वारा क्रोस इंगजामिनेशन करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद उक्त जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को अपनी रक्षा का नेतृत्व करने और अपना मामला पेश करने में सक्षम बनाने के लिए लगातार चार तारीखों का समय लेगा। पूरी कार्यवाही 31 मार्च, 1985 तक समाप्त होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि किसी भी कारण से कार्यवाही में कोई स्थगन नहीं होगा। जांच के समापन पर, उक्त जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो पहले की रिपोर्ट का अधिक्रमण करेगी जो श्रीमती ज्योत्सना देशाई द्वारा प्रस्तुत।

निर्देशों को हमारे समक्ष एसएलपी के किसी भी तर्क की स्वीकृति के रूप में नहीं समझा जाएगा। इन शर्तों के तहत एसएलपी का निपटारा किया जाता है।’’

उच्चतम न्यायालय के 20 दिसंबर 1984 के आदेश के अनुसरण में, आईएएस अधिकारी (तमिलनाडु कैडर) श्री ए.के. रस्तोगी को नियुक्त किया गया विभाग जांच आयुक्त (जांच अधिकारी) को जाना है।याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों कि जांच अधिकारी,-30 मार्च, 1985 को अपनी जांच रिपोर्ट के जरिये याचिकाकर्ता को दोष मुक्त कर दिया-सभी शुल्कों का भुगतान (दो छोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को छोड़कर)।जो उसके द्वारा किए जाने का आरोप लगाया गया था), इसके अनुरूप-सुप्रीम कोर्ट के 20 दिसंबर 1984 के आदेश का उल्लंघन, बैंक ने जांच अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवादी क्रमांकन 3 को प्राप्त हुआ जो कि 18 सितंबर, 1985 के कवरिंग लेटर के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट में इस आशय की एक जवाबी रिपोर्ट थी कि दो आरोपों (नंबर 9 और 10) को छोड़कर, अन्य सभी आरोप पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थापित किए गए थे और बैंक को निर्देशित किया गया था। याचिका पर ‘‘सेवा से निष्कासन से कम नहीं‘‘ का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण के ज्ञापनध्दंड आदेश दिनांक 31 अक्तूबर, 1987 में उल्लिखित है, लेकिन याचिकाकर्ता को

सूचित नहीं किया गया है, कि प्रतिवादी नंबर 3 (जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी है, यानी, कार्यकारी समिति), ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट और केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार किया और कहा कि आरोप संख्या प्ए प्प्ए ट से टप्प् और ग्प् साबित हुए थे। जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होते हुए, प्रतिवादी नंबर 3 ने एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने या तो बैंक के धन का दुरुपयोग किया है या अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया है या किसी नुकसान का कारण बना है। बैंक प्रतिवादी नंबर 3 चार आरोपों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से असहमत था और उसने केंद्रीय सतर्कता आयोग से संशोधित राय मांगी, हालांकि अपनी पिछली सलाह दोहराई केंद्रीय सतर्कता आयोग का जवाब मिलने पर उसने अपनी पिछली सलाह दोहराई, प्रतिवादी नंबर 3 ने 31 अक्तूबर, 1987 को अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें सिफारिश की गई कि याचिकाकर्ता को वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड प्ट में अधिकारी के कैडर में रैंक कम कर दिया जाए और उसे पद पर रखा जाए। नए ग्रेड से नीचे प्रतिवादी नंबर 3 ने यह भी सिफारिश की कि चूंकि जांच कार्यवाही में देरी बैंक के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अदालती मामलों से उत्पन्न स्थगन आदेशों के कारण हुई थी, इसलिए निलंबन के दौरान जुलाई 1981 से अप्रैल 1986 तक की अवधि व्यतीत हुई। इसे ''निलंबन अवधि'' के रूप में माना जाएगा जिससे वह पूर्ण वेतन और भत्ते तथा आवास सुविधा के भुगतान से वंचित हो जाएगा। 31 अक्तूबर, 1987 के ज्ञापन में निहित प्रतिवादी संख्या 3 की इन सिफारिशों को 4 नवंबर, 1987 को आयोजित बैठक में बैंक की कार्यकारी समिति के समक्ष रखा गया था। प्रतिवादी नंबर 3 की सिफारिशें और जांच कार्यवाही का रिकार्ड जो कार्यकारी समिति की बैठक में उसके समक्ष रखा गया था, दावा किया गया है कि उसे सदस्यों को वितरित कर दिया गया है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद कहा गया है कि कार्यकारी समिति का गठन करने वाले पांच सदस्यों में से तीन प्रबंध निदेशक के ज्ञापन से तीन दिन पहले बंबई से बाहर थे। यह असंभव है कि जांच कार्यवाही के विशाल रिकार्ड (जिसमें 74 पृष्ठों का ज्ञापन, 108 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों की चार फाइलों में चलने वाले साक्ष्य, 48 पृष्ठों में चलने वाली केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट और केंद्रीय सतर्कता आयोग की दो संदर्भ फाइलें शामिल हैं। जो कि वास्तव में कार्यकारी समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया है। सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श की तो बात ही क्या, जांच रिकार्ड का अवलोकन भी संभव नहीं था। बैठक बमुश्किल एक घंटे तक चली और कार्यकारी समिति ने दर्ज किया कि उसने पक्षों, जांच अधिकारी और प्रबंध निदेशक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान से पढ़ा था और वह प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत थी। हालाँकि, यह निम्नलिखित आशय पर प्रबंध निदेशक से सहमत हुआ- ''यह बताने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नहीं था कि याचिकाकर्ता ने स्वयं आर्थिक लाभ प्राप्त किया या बैंक को कोई मुद्रिका नुकसान पहुंचाया और कोई दुर्भावनापूर्णधुप्त उद्देश्य स्थापित नहीं किया जा सका।''

इसके बावजूद, कार्यकारी समिति प्रबंध निदेशक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा अनुशंसित दंड से सहमत थी कि कार्यकारी समिति के 4 नवंबर, 1987 के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि कार्यकारी समिति ने न तो अपना दिमाग लगाया, न ही विचार किया या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों से निपटा गया, अपने 31 अक्तूबर, 1983 के आदेश के तहत, जिस पर अंतिम आदेश पारित करने से पहले निर्णय लिया जाना था। इसके विपरीत, 31 अक्तूबर, 1987 के ज्ञापन से यह देखा जा सकता है कि प्रबंध निदेशक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) ने याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ उठाई गई याचिकाओं पर स्वयं निर्णय लिया। प्रबंध निदेशक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) और कार्यकारी समिति के आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल (अपील-देर से प्राधिकारी) के समक्ष अपील दायर की तथा अपील खारिज कर दी गई और आदेश प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने पत्र दिनांक 20 मार्च 1989 द्वारा सूचित कर दिया गया।

(5) उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 की ओर से लिखित बयान दिया गया है। एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षक कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 (इसके बाद ''सेवा नियम'' के रूप में संदर्भ) गैर हैं -वैधानिक और याचिकाकर्ता रिट याचिका में कोई राहत नहीं मांग सकता। योग्यता के आधार पर यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 27 अगस्त, 1980 से वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड सकेल ट में पदोन्नति किया गया था और सितंबर 1980 में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (अब उप महाप्रबंधक के रूप में फिर से नामित), हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कि याचिकाकर्ता को विभिन्न रिपोर्टिंग प्राधिकारियों द्वारा ''औसत'' और ''औसत'' से ऊपर का दर्जा दिया गया है। जो सेवा नियमावली प्रदान नहीं करती। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु विशुद्ध रूप से बैंक प्राधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए याचिकाकर्ता को प्रशंसा पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया गया था। लेकिन ऐसे प्रशंसा पत्र किसी कर्मचारी को उसके कदाचार के किसी भी कृत्य से मुक्त नहीं करते हैं। 17 अप्रैल, 1978 को याचिकाकर्ता की पदोन्नति को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस बात से इनकार किया गया है कि अध्यक्ष ने श्री आर. पी. गोयल के खिलाफ कोई प्रतिबंध पारित किया है। हालाँकि, अध्यक्ष ने नई दिल्ली स्थानीय प्रधान कार्यालय के अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। याचिकाकर्ता को पटना कार्यालय में अभिलेखों का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। कदाचार अनियमित के कुछ गंभीर कृत्यों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना और पूरा करना सेवा नियमों के नियम 50 के अनुरूप था। यह कि बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तावित जुर्माने से कम जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता रिट कार्यवाही में मामले को नहीं उठा सकता। प्रतिवादी संख्या 3, कार्यकारी समिति के 31 मार्च, 1977 के संकल्प के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था और वह 9 सितंबर, 1982 के आदेश के बाद भी ऐसा

ही बना हुआ है। इस तथ्य से कि याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट याचिका के साथ प्रतिवादी संख्या 1, दिनांक 31 अक्तूबर, 1987 के आदेश की एक प्रति संलग्न की है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी संख्या 3 का निर्णय (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति जताना गलत है। जो कि विभागीय कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि ये एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थीं। प्रबंध निदेशक (अनुशासनिक प्राधिकारी) द्वारा जारी 31 अक्तूबर, 1987 का ज्ञापन कार्यकारी समिति के सदस्यों को वितरित किया गया था, जिन्होंने अपना दिमाग लगाने के बाद निर्णय दिया। अपील प्राधिकारी ने एक तर्कसंगत आदेश पारित करके अपील का निपटारा कर दिया और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी समिति के सदस्य, जिन्होंने मूल आदेश पारित किया था। जो कि 7 मार्च 1989 को केंद्रीय बोर्ड की बैठक से हट गए जब केंद्रीय बोर्ड ने विचार किया और खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की अपील अनुसार।

(6) इससे पहले कि मैं पक्षकारों के विद्वान वकीलों की संबंधित प्रस्तुतियों से निपटूं, याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किए गए आरोपों के लेख, जांच अधिकारी द्वारा 30 मई, 1985 की जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 20 दिसंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नियुक्त किया गया था। 1984 के एसएलपी सं. 10239 में पारित किया गया पत्र और प्रबंध निदेशक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा 31 अक्तूबर, 1987 को कार्यकारी समिति को दिए गए ज्ञापन का प्रासंगिक निष्कर्ष 30 मई, 1985 की जांच रिपोर्ट में दिए गए जांच अधिकारी के निष्कर्षों से भिन्न है।

(7) याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की धारणाएं इस प्रकार हैं

आरोप।

1. यह कि धनबाद शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान, आपने मैसर्स को गैरकानूनी और अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गलत इरादे से काम किया। भारत इलेक्ट्रिकल स्टोर्स, धनबाद ने वास्तविक जरूरतों का आपके स्तर पर कोई मूल्यांकन किए बिना डीजीएस एंड डी दरों पर 118 सीलिंग पंखों का ऑर्डर दिया। इसके अलावा, आपने शाखा प्रबंधक, धनबाद के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स को

डीजीएस और डी दरों पर बैंक को आपूर्ति किए गए 93 पंखों और उसकी आवश्यकता से अधिशेष की डिलीवरी लेने के लिए संबंधित दस्तावेज सौंप दिए।

2. उक्त आदेश आपके द्वारा आपके नियंत्रण प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिया गया था और यह आपके द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से कहीं अधिक था।

3. आपने जानबूझकर अपने नियंत्रण प्राधिकारी को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि आपने केवल 25 पंखों के लिए ऑर्डर दिया था।

उपरोक्त कार्य करके आपने, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में और आपको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के विपरीत कार्य किया है और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया है। ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम, जिससे भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षक कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 32(3) और 32(4) के तहत कदाचार/दुराचरण का कार्य किया जाता है।

आरोप ।।

1. आपने तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने की दलील पर 25 पंखों की आपूर्ति के लिए मैसर्स जे इंजीनियरिंग, पटना को 14 मई, 1979 को एक आदेश दिया था, लेकिन आप 1 जनवरी, 1979 और अपने पहले के आदेश रद्द करने या संशोधित करने में विफल रहे। 1 जनवरी 1979 के आपके आदेश के अनुसरण में 25 पंखे प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर और गलत इरादे से 14 मई 1979 के आदेश को रदद करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे।

2. इसके अलावा, आपके नियंत्रण प्राधिकारी की सलाह के बिना संदर्भ के बड़े आदेश न देने की सलाह के जवाब में, आपने उन्हें गुमराह करने के उद्देश्य से जानबूझकर झूठ बोला।

3. आपने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में और आपको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने सर्वोत्तम निर्णय के अलावा प्रथम कार्य किया है और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम से नहीं निभाया है । इस प्रकार कृत्य किया है जो भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षक कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 32(3) और 32(4) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।

आरोप ।।।

1. आपने, धनबाद शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापित रहते हुए, गलत इरादों से, धनबाद शाखा में जनरेटर कक्ष के निर्माण का ठेका मेसर्स ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल वर्क्स को सौंप दिया और उप-ठेकेदार श्री मुहम्मद ईशाक को अनाधिकृत रूप से भुगतान कर दिया। मुहम्मद ईशाक को कुल रुकम में निर्माण कार्य का केवल सिविल भाग सौंपा गया। श्री मुहम्मद द्वारा प्रस्तुत बिलों के विरूद्ध 12,500/-. ईशाक राशि, केवल रु। 5,696.70./- इस प्रकार आप केवल और जानबूझकर रुपये का अधिक भुगतान चाहते हैं। मुहम्मद को 6,803.30/- महोम्मद ईशाक ने बैंक की कीमत पर किसी तीसरे पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाया।

2. ऐसा करने पर आपने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए और आपको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के हितों की घोर उपेक्षा की है, जिससे आप नियम 32(3) और 32(4) के अनुसार कदाचार के समान कार्य करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षक कर्मचारी सेवा नियम)

आरोप iv

1. आपने धनबाद शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापित रहते हुए बैंक के परिसर से सटे दो निजी दुकानों को अनाधिकृत रूप से बैंक के जनरेटर से बिजली की आपूर्ति की। ऐसा करके आपने विद्युत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया और इस तरह बैंक के हितों की घोर उपेक्षा की।

2. आपने अपने नियंत्रण प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट करते समय जान-बूझकर कुछ तथ्य उनसे छिपाए है।

3. उपरोक्त कार्य करते समय आपने अपने सर्वोत्तम निर्णय के विपरीत कार्य किया है और आपको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के हितों की घोर उपेक्षा की है। जिससे नियम 32(3) और 32(4) के अनुसार कदाचार/दुराचरण हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम।

आरोप v

1. धनबाद शाखा से राहत मिलने के लगभग तीन महीने बाद धनबाद शाखा से वाउचर के दो बंडल मुक्त होने के बाद भी आपने बैंक के हितों और बैंक के रिकॉर्ड की सुरक्षा की घोर अवहेलना करते हुए अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में बनाए रखा और धनबाद शाखा से राहत मिलने के लगभग तीन महीने बाद धनबाद शाखा के एक कर्मचारी को उसके निवास पर गुप्त तरीके से वाउचर के उक्त गुच्छे सौंप दिए। आपने कर्मचारी को उसके आवास पर वाउचरों का गुच्छा

सौंपते समय गलत इरादे से और अपने खिलाफ भौतिक सबूतों को दबाने की दृष्टि से तीन अलग-अलग वाउचर अपने पास रख लिए।

2. ऐसा करने पर, आपने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में, बैंक के हितों की घोर उपेक्षा की और अत्यंत सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण के बिना कार्य किया, जिससे नियम 32(3) और 32(4) के संदर्भ में कदाचार हुआ।) भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम।

आरोप V।

1. आपने, केवल रुकम का व्यय करने के लिए अपने नियंत्रण प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। मेसर्स को अनुचित लाभ पहुंचाने के गलत इरादे से धनबाद शाखा परिसर में साइकिल स्टैंड के निर्माण के लिए 4,010/- अरविंद स्टील ट्रेडर्स और श्री वी.सी. जैन।

(ः) रुपये के कुल मूल्य की नियंत्रित दरों पर स्टील के लिए ऑर्डर दिया। 17,300 जो कि बैंक की वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक था।

(ठ) प्राप्त स्टील का उचित उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा और गैरकानूनी तरीके से श्री वी.सी. जैन को बैंक के निर्माण में उपयोग नहीं किए गए स्टील की अतिरिक्त मात्रा को बनाए रखने और गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी है।

2. इस प्रकार आपने शाखा प्रबंधक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस प्रकार, आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम से नहीं किया है और इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण) के नियम 32(3) और 32(4) के तहत कदाचार/दुराआचरण किया है।

आरोप VI।

1. आप, तीसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने के गलत इरादे से निम्नलिखित काम किया है -

(ए) बड़े बैंकिंग हॉल, स्टेशनरी रूम, कैंटीन रूम, साइकिल शेड और स्ट्रॉन्ग रूम के विस्तार के उद्देश्य से मेसर्स सेल, धनबाद को नियंत्रित दरों पर 13 टन स्टील का ऑर्डर दिया-

(1). बैंक की निर्माण गतिविधियों के लिए स्टील की आवश्यकताओं का कोई प्रामाणिक मूल्यांकन करना।

(2)यह भलीभांति जानते हुए कि आपको स्टेशनरी कक्ष, कैंटीन कक्ष और स्ट्रांग रूम के विस्तार के लिए अपने नियंत्रण प्राधिकारी से कोई मंजूरी नहीं मिली थी।

(बी) जानबूझकर और गलत ईरादे से श्री के.सी. जैन को, जिन्हें बैंक के परिसर के निर्माण के लिए कोई अनुबंध नहीं दिया गया था। मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास स्टील का मूल्य जमा करने और उसकी डिलीवरी लेने की अनुमति दी गई।

(सी) प्राप्त स्टील का उचित उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा और गैरकानूनी तरीके से श्री के.सी. जैन को प्राप्त स्टील की पूरी मात्रा को अपने पास रखने और गैरकानूनी लाभ कमाने की अनुमति दी।

2. आपके उपरोक्त कृत्यों से, आपके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में और आपके अंदर निहित शक्तियों के प्रयोग में, आपने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है और आपने बैंक के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम नहीं उठाए हैं। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी निष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम और निष्ठा से नहीं किया है। इस प्रकार आपने भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षक कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 32(3) और 32(4) के अनुसार कदाचार का कार्य किया है।

आरोप VII।

1. दुर्भावनापूर्ण इरादों से और तीसरे पक्ष को गैरकानूनी लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निम्न कार्य किया है जो निम्न प्रकार से है -

(ए) बैंक की स्टील की आवश्यकता का कोई प्रामाणिक मूल्यांकन किए बिना और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि चारदीवारी के साथ दुकानों के निर्माण के लिए आपके नियंत्रण प्राधिकरण की कोई मंजूरी नहीं थी व निर्माण के लिए कोई मंजूरी नहीं थी साइकिल शेड के अलावा गैरेज और स्कूटर स्टैंड, जिसके लिए आपने पहले ही स्टील खरीद लिया था। धनबाद शाखा के प्रबंधक लेखा को मेसर्स सेल, धनबाद को नियंत्रित दरों पर 11 टन स्टील का ऑर्डर देने का निर्देश दिया।

(बी) जानबूझकर श्री मुहम्मद ईशाक को अनुमति दी गई। महोम्मद इशाक को स्टील का मूल्य जमा करने के लिए और एक श्री शंकरलाल शर्मा को स्टील की डिलीवरी लेने के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से किसी को भी बैंक के परिसर में उपरोक्त लिखित किसी भी निर्माण गतिविधि को करने के लिए कोई अनुबंध नहीं दिया गया था।

(सी) इस प्रकार प्राप्त स्टील का उचित उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा और श्री मोहम्मद ईशाक को अवैध रूप से अनुमति दी गई। महोमम्द ईशाक और श्री शंकरलाल शर्मा को प्राप्त स्टील की पूरी मात्रा अपने पास रखनी होगी।

2. इस प्रकार आपने शाखा प्रबंधक, धनबाद शाखा के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण और परिश्रम से काम नहीं किया है। आपने भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 32(3) और 32(4) के अनुसार कदाचार/दुराचारण के समान कार्य किया है।

आरोप IX

1. आपने गलत इरादे से यह भली भांति जानते हुए कि स्ट्रांग रूम के निर्माण के आपके प्रस्ताव को आपके नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और किसी भी ठेकेदार को काम सौंपने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी। सेल, धनबाद को एक आवेदन दिया। 13 नवंबर 1979, श्री मोहम्मद इशाक (सीओ एसबीआई, धनबाद) के नाम पर 3 एमटीएस स्टील जारी करने के लिए, यह कहा गया कि स्ट्रॉन्ग रूम के निर्माण के लिए स्टील की आवश्यकता थी।

2. इसलिए, आपने शाखा प्रबंधक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण और परिश्रम से काम नहीं किया है, जिससे नियम 32(3) और 32 के अनुसार कदाचार का कार्य किया है। (4) भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम।

चार्ज X

1. शाखा प्रबंधक, धनबाद शाखा के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, आपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित होकर और किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, जानबूझकर और जानबूझकर एमध्3 सेल, बोकारो द्वारा जारी रुपये के चेक का दुरुपयोग किया।

2. इस प्रकार, आपने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में और आपको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक के हितों की घोर उपेक्षा की है और अत्यंत सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण के साथ कार्य नहीं किया है।

3. इसलिए, आपने भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 32(3) और नियम 32(4) के संदर्भ में कदाचार जैसा कार्य किया है।

आरोप X।

1. धनबाद शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, आपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से काम किया और तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए, श्री मोहम्मद ईशोक के पक्ष में मैसर्स सेल, धनबाद द्वारा जारी 2.826.91 रुपये का रिफंड चेक एकत्र करने की व्यवस्था की। इशाक ने मैसर्स सेल, धनबाद के कार्यालय से उक्त चेक का जानबूझकर दुरुपयोग किया।

2. इस प्रकार, आपने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में और आपको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक के हितों की घोर उपेक्षा की है और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण के साथ कार्य नहीं किया है।

3. इसलिए, आपने भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 32(3) और 32(4) के अनुसार कदाचार/दुराआचरण जैसा कार्य किया है।

आरोप XI।

1. आपने बैंक की इमारत की मालकिन से उसे दिए गए ओवरड्राफ्ट की सुरक्षा के रूप में कोई भी उचित बंधक प्राप्त करने के लिए वास्तविक और निरंतर प्रयास नहीं किए, बल्कि उसके लिए इस आशय का एक उत्तर तैयार किया कि वह निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं है।

2. ऐसा करते हुए, आपने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में और आपको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक के हितों की घोर उपेक्षा की है और इस तरह नियम 32(3) के अनुसार कदाचार के समान कार्य किया है। और भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों की धारा 32(4)।

आरोप XIII

1. आपके द्वारा कथित रूप से किए गए विभिन्न अनधिकृत कार्यों और अनियमितताओं के संबंध में पटना एलएचओ द्वारा आपके खिलाफ की जा रही जांच की प्रकृति को जानने के बाद, आपने बैंक की इमारत की मकान मालकिन द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया। यदि संभव हो तो स्वयं को आरोपों से मुक्त करें

2. आपने एक बैंक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अशोभनीय तरीके से काम किया है और इस तरह भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 32(3) और 32(4) के संदर्भ में कदाचार/दुराचरण किया है।''

(8) आरोपों पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

आरोप (1) और (3)	साबित नहीं हुआ
चार्ज I(2)	साबित
आरोप II(1)	केवल पहला भाग साबित
आरोप II(2) एवं (3)	साबित नहीं हुआ
शुल्क III से XIII	साबित नहीं हुआ

(9) आरोप प्(2) और, प्प्(1) के तहत जांच अधिकारी के निष्कर्ष इस प्रकार हैं: -

''4.3.3. हालांकि मुझे नई शाखाओं, बैंक के परिसर के विस्तार आदि को ध्यान में रखते हुए एसडब्ल्यू-5 द्वारा किए गए सीलिंग पंखों की आवश्यकता के आकलन के बारे में पर्याप्त औचित्य मिलता है। उदाहरण के लिए डी-3-118 पंखों के ऑर्डर देने के लिए नियंत्रण प्राधिकारी की मंजूरीध्अनुमोदन प्राप्त नहीं करने में सी.ओ. की ओर से प्रक्रियात्मक चूक हुई और इसलिए आरोप प्(2) को साबित माना जाता है। हालाँकि, मैं इसमें कोई दुर्भावना नहीं देख पा रहा हूँ सी ओ की ओर से प्रक्रिया का पालन न करना। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो उसकी उपस्थिति की ओर कमजोर रूप से इशारा करता हो। इसलिए यह आरोप कि सी ओ 'दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित था' साबित नहीं हुआ है और इसलिए आरोप 1(1) (प्रथम भाग) को सिद्ध नहीं माना जाता है।

4.3.4. हालांकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आपूर्तिकर्ताओं ने विवादित आदेश (उदा0 एस-1) को निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की थी जोकि देरी हुई तथा आपूर्तिकर्ताओं की ओर से 5 महीने का समय काफी स्पष्ट है। इस संबंध में एक्स, डी-10 से भी संपर्क किया जा सकता है। मैं अपने कर्मचारियों और आगंतुकों को असुविधा से बचाने के लिए श्री अग्रवाल की चिंता की भी सराहना करता हूं क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कुल आवश्यकता को मूल 118 पंखों से घटाकर 25 पंखों तक सीमित करने के बारे में उनका तर्क भी उचित है, लेकिन कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। मेसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स पर 25 उषा पंखों के लिए 14 मई, 1979 के अपने आदेश के माध्यम से आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के लिए जाने से पहले उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने मूल आदेश, एक्स एस -1 को रदद क्यों नहीं किया। (उदा0 एस-18)। जैसा कि अभियोजन पक्ष ने बिल्कुल सही बताया है। वह कम से कम 25 उषा प्रशंसकों के लिए दिए गए बाद के आदेश की सीमा तक पहले के आदेश को संशोधित कर सकते थे। मैं सी.ओ. द्वारा दिए गए चूक के सिद्धांत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। 1 जनवरी 1979 के मूल आदेश के संबंध में। इसके अलावा पहले आदेश (उदा0 एस. 1) के विरुद्ध 25 ओरिएंट पंखों की आपूर्ति 26 मई को प्राप्त हुई थी। 1979, सी.ओ. 14 मई, 1979 (उदा0, एस-18) के दूसरे आदेश को रद्द कर देना चाहिए था। चूँकि इसमें से कुछ भी सी.ओ. द्वारा नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि आरोप प्प्(1) इस हद तक सिद्ध हो गया है। हालाँकि, मुझे सी.ओ. की ओर से कोई गलत मकसद नहीं मिला। उक्त आदेशों को रद्दध्संशोधित न करने में (118 और 25 प्रशंसकों के लिए दिए गए) और इसके विपरीत किसी साक्ष्य के अभाव में आरोप सी.ओ. की ओर से दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किया गया इरादा। स्थापित नहीं है. परिणाम में, आरोप प्प्(1) केवल आंशिक रूप से सिद्ध हुआ है।‘‘

(10) जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य का विश्लेषण इस प्रकार है:-

‘‘यह बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि दुर्भावना का आरोप केवल दावों और मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है। श्री अग्रवाल के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के उत्साह में प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उसकी शाखा की कामकाजी स्थितियों और वातावरण के लिए सबूत, लेकिन निश्चित रूप से उस पर दुर्भावनापूर्ण इरादों से प्रेरित होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, आरोप प् और प्प् को केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की हद तक आंशिक रूप से साबित माना जाता है, न कि किसी के संबंध में है। कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से या संबंधित निजी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।‘‘

(11) आपराधिक मनःस्थिति के आधार पर, जांच अधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचेः-

''12.3 'मेन्स रीआ' का अर्थ है एक दोषी दिमाग, एक बुरा इरादा या कार्य की गलतता का ज्ञान या अनुचित उद्देश्य। यह सामान्य कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि दोषी दिमाग या पूर्व-मध्यस्थ गलत इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तब तक माना जा सकता है जब तक कि इस तरह के निष्कर्ष की गारंटी देने वाली पर्याप्त परिस्थितियां न हों। संपूर्ण अभियोजन मामला जानबूझकर ज्ञान आदि के साथ 'दुर्भावनापूर्ण' इरादों के आरोपों पर बनाया गया है। यह उनसे आवश्यक था प्रत्यक्ष साक्ष्य और अप्रमाणिक (जैसे-'विश्वसनीय' होना चाहिए) तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा स्थापित करने के लिए कि विवादित कृत्य जानबूझकर मेन्स-रीया और दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ किए गए थे। वास्तव में अहानिकर बनाने का एक जबरदस्त प्रयास है और ईमानदार कार्य वाक्यांशों के प्रचुर उपयोग से बेईमानी प्रतीत होते हैं। जैसे 'जानबूझकर', 'दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्यान्वित', आदि। जैसा कि रिकॉर्ड पर मौखिकध्दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण के माध्यम से मेरे द्वारा साबित किया गया है। इनमें से किसी में भी नहीं आरोप के 13 आलेख, मेन्स रीया का यह महत्वपूर्ण तत्व स्थापित किया गया है। दूसरे शब्दों में, गुप्त उद्देश्यों या प्रलोभन के साथ सत्ता के किसी भी रंग-योग्य अभ्यास को समाप्त करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई गारंटी नहीं है। श्री अग्रवाल द्वारा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना, इसलिए, एक बार जब यह आवश्यक तत्व किसी भी आरोप में प्रमाणित नहीं पाया गया है, तो प्रक्रियात्मक चूक आदि से संबंधित बाकी आरोप भी विफल हो जाने चाहिए।''

(12) अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत थे और असहमति उनके द्वारा प्रतिवादी-बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति को प्रस्तुत 31 अक्टूबर 1987 के ज्ञापन में 'बी' के रूप में संलग्न है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष इस प्रकार हैंः-

''17. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से तीसरे पक्ष को अनुचित लाभ कमाने की अनुमति देने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने की श्री डी. सी. अग्रवाल की प्रवृत्ति का पता चलता है। हालांकि अधिकारी द्वारा किए गए गलत कार्य निस्संदेह गंभीर हैं, लेकिन जांच के दौरान सामने आए तथ्य जांच से यह नहीं पता चलता है कि बैंक को कोई मौद्रिक नुकसान हुआ है। इस बात का भी कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि स्टील, पंखे आदि की खरीद के लिए सभी लेनदेन में अधिकारी ने बैंक के धन का दुरुपयोग किया था या अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। समग्रता पर विचार करें इसलिए, मेरी राय में, परिस्थितियों के अनुसार, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार सेवा समाप्ति का अत्यधिक दंड लगाना बहुत कठोर होगा। इसलिए, मैं इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के विचारों से सहमत नहीं हूं और निर्णय लिया कि श्री अग्रवाल को अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल प्ट के कैडर में कटौती का दंड

देकर और उन्हें उस कैडर के सबसे निचले स्तर पर रखकर न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा। चूंकि सीवीसी के साथ मतभेद था, इसलिए हमने मौजूदा प्रक्रिया के संदर्भ में उनकी राय में संशोधन के लिए सीवीसी से संपर्क किया था। इस संबंध में हमारा पत्र संख्या वीआईजीध्2312, दिनांक 6 जून 1987, सूचित किया जाता है। अपने जवाब में, सीवीसी अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमत नहीं है और श्री अग्रवाल पर सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने की अपनी पिछली सलाह दोहराई है। उनकी राय का भौतिक भाग यहां उद्धृत किया गया है:-

''इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था या उसके द्वारा बैंक को कोई मौद्रिक नुकसान पहुंचाया गया था, फिर भी अधिकारी का कदाचार और उसकी कार्रवाई में गलत इरादे और उचित मूल्यांकन किए बिना पंखे और स्टील प्राप्त करना और स्थानीय प्रमुख अधिकारी को सूचित न करना गंभीर आरोप हैं जो निश्चित रूप से एक अधिकारी पर गंभीर बड़ा जुर्माना लगाने का वारंट देते हैं। बैंक में इतने ऊंचे पद पर रहते हुए, उनसे उचित देखभाल और सावधानी बरतने और अपने अधीनस्थों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। बिना किसी गुप्त उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा या करना नहीं भूलेगा जिससे किसी तीसरे पक्ष को कोई अनुचित लाभ पहुंचे, जब तक कि वह उक्त लेनदेन में किसी तरह से रुचि न रखता हो। आयोग की 18 सितंबर, 1985 की पिछली सलाह में ऐसे सभी कारक जो दुर्भावनापूर्ण और गुप्त उद्देश्यों को साबित करते हैं और अधिकारी के कदाचार को काफी हद तक दर्शाते हैं, बैंक को बता दिया गया है। ऐसे में, श्री अग्रवाल को सेवा से हटाने का बड़ा जुर्माना लगाने की आयोग की पिछली सलाह पर पुनर्विचार करने का कोई मामला नहीं है और इसलिए आयोग इसे दोहराएगा।''

18. अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने फिर से मामले पर पूरी तरह से विचार किया है और अभी भी सीवीसी द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है। सीवीसी के तर्क का मुख्य मुद्दा यह प्रतीत होता है कि अधिकारी के व्यक्तिगत लाभ की दुर्भावनापूर्ण मंशा को अंतिम रूप से साबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ जांच अधिकारी ने जांच में आरोपों को साबित नहीं पाए जाने की सूचना दी है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने तर्कों को नए सिरे से देखा है और कुछ आरोपों के संबंध में आईओ के निष्कर्षों के विचारों से भिन्न अपने निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस हद तक कि प्रस्तुत तथ्यध्साक्ष्य सीओ द्वारा अपनाई गई अनियमित प्रथाओं के बारे में सामग्री को साबित करते हैं। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के लिए यह निर्णायक रूप से साबित करना संभव नहीं है कि अधिकारी ने कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त किया या दर्ज किए गए लेनदेन में गुप्त उद्देश्य स्पष्ट था। उसके द्वारा बाहरी पार्टियों के निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हूं कि यह संदेह करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां हैं कि इन सभी लेनदेन के पीछे व्यक्तिगत लाभ होना चाहिए, हालांकि, केवल संदेह

सबूत की जगह नहीं ले सकता। एकमात्र आरोप जो निश्चितता के साथ साबित किया जा सकता है वह यह है कि सीओ स्वेच्छया से बिना कोई नुकसान पहुंचाए कुछ बाहरी पार्टियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रास्ते से हट गया। इस प्रकार मैं सीवीसी की सलाह से सहमत नहीं हूं और फिर भी मानता हूं कि श्री अग्रवाल पर अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल प्ट के कैडर में कटौती और उन्हें सबसे निचले स्तर पर रखने का बड़ा दंड लगाकर न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा। वह पैमाना. जहां तक निलंबन अवधि का संबंध है, रिकॉर्ड बताते हैं कि जांच कार्यवाही में देरी मुख्य रूप से सीओ द्वारा अप्रैल 1986 तक बैंक के खिलाफ शुरू किए गए अदालती मामलों के कारण हुई। इसके बाद, श्री डी. सी. अग्रवाल ने मामले की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली। इसलिए, मैं अनुशंसा करता हूं कि अप्रैल 1986 के अंत तक उनके द्वारा निलंबन के तहत बिताई गई अवधि को इस तरह माना जाए कि वह केवल पहले से ही प्राप्त निर्वाह भत्ते के भुगतान का हकदार हो और मई 1986 से अंतिम प्राप्ति की तारीख तक निलंबन अवधि हो। उसके द्वारा दिए गए आदेश को ड्यूटी पर माना जाएगा। मैं तदनुसार अनुशंसा करता हूं।

19. कार्यकारी समिति से अनुरोध है कि वह इस मामले से संबंधित कागजात का अवलोकन करें और ऐसे आदेश पारित करें जो आवश्यक समझे जाएं।''

(13) ऐसा मानने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आरोप संख्या प्, प्प्, ट, टप्, टप्प्, टप्प्प् और ग्प् को साबित पाया, जबकि आरोप संख्या प्प्प्, प्ट, प्ग्, ग्प्प्, ग्प्प् और ग्प्प्प् को याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित नहीं किया गया। .

(14) जांच अधिकारी की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं नहीं की गईं। याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के संबंध में जांच अधिकारी के निष्कर्षों को निरर्थक बना दिया गया है क्योंकि ये बेईमानी से नहीं किए गए थे। हालांकि जांच अधिकारी ने तकनीकी रूप से पाया कि आरोप संख्या प्(2) सिद्ध हो गया है और आरोप संख्या प्प् (1) आंशिक रूप से सिद्ध हो गया है, फिर भी उनके इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि कोई आपराधिक मामला नहीं था, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

(15) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित दलीलें दीं: -

(प) यह कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को उसके द्वारा की गई कथित दो छोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को छोड़कर सभी आरोपों से बरी कर दिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3, केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

करने और इस पर विचार करने के बाद, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भिन्न थी और याचिकाकर्ता को विभिन्न आरोपों का दोषी ठहराया गया था, जिनमें से उसे जांच अधिकारी द्वारा बरी कर दिया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अंतिम निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के कारणों के बारे में सूचित करना चाहिए था।

(प्प्) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों का आधार थी, उसे प्रदान नहीं की गई थी।

(पपप) दी गई सजा याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित किए गए कथित आरोपों की तुलना में बहुत गंभीर और अनुपातहीन है।

(पअ) अपीलीय प्राधिकारी ने वैधानिक अपील का निपटारा करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

(ट) भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम, 1975, जो बैंक के अधिकारियों, कर्मचारी अधिकारियों और वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं, हालांकि गैर-वैधानिक हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय उनका पालन किया जाना चाहिए। मनमानी से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तत्काल मामले में इनका उल्लंघन नहीं किया गया है, मूलतः दोषी कर्मचारी के विरुद्ध है।

(अप) याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति है और अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3, जो नियुक्ति प्राधिकारी से कम स्थिति में है, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है या सिफारिश नहीं कर सकता है।

(अपप) अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3 यह अनुशंसा नहीं कर सका कि याचिकाकर्ता केवल जुलाई 1981 से अप्रैल 1986 तक निलंबन के तहत रहने की अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते का हकदार होगा।

(16) प्रतिवादी-बैंक के वकील का मुख्य मुद्दा यह है कि याचिकाकर्ता एक सिविल सेवक नहीं है और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान उसके मामले में लागू नहीं होते हैं। उत्तरदाताध्बैंक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, सिवाय इसके कि जहां विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो। सेवा नियम गैर-वैधानिक हैं और इन नियमों का उल्लंघन न्यायसंगत नहीं है।

(17) मैं सबसे पहले याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदु (1) और (पप) और प्रतिवादी बैंक की ओर से उठाई गई आपत्ति से निपटूंगा। निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी-बैंक एक वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में एक ''प्राधिकरण'' है। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग प्प्प् में ''राज्य'' शब्द का एक अलग अर्थ है: इसमें भारत की सरकार और संसद शामिल हैं। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या ''अन्य प्राधिकरण'' मे शमलित है। इसलिए, प्रतिवादी-बैंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक दायित्वों के अधीन है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी याचिकाकर्ता को ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत के लाभ से वंचित नहीं कर सकता। उत्तरदाताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3 ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमत होने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियों और राय को ध्यान में रखा। किसी अपराधी अधिकारी के खिलाफ उसके पूर्वाग्रह के लिए इस्तेमाल की गई कोई भी सामग्री उसके संज्ञान में लाई जानी चाहिए ताकि वह इस संबंध में अपनी बात रख सके। यह संभव है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपना तर्क दिया हो और याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत राय व्यक्त की हो। यह भी उतना ही संभव है कि संबंधित कर्मचारी के पहले के गोपनीय रिकॉर्ड के रूप में कोई अन्य रिकॉर्ड केंद्रीय सतर्कता आयोग को उपलब्ध कराया गया हो। किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन, किसी भी कीमत पर, ऐसे अनुमान की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कही गई बातों का लाभ उठाने का अवसर दिए बिना केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया और परिणामस्वरूप वह ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत के लाभ से वंचित हो गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया। न्यायिक और अर्ध-न्यायिक जांच में, अपराधी के खिलाफ उसके पूर्वाग्रह से ग्रसित किसी भी सामग्री को उसके संज्ञान में लाया जाना चाहिए ताकि वह उस संबंध में अपनी बात रख सके। इसी प्रकार, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जो नियमित विभागीय जांच का आधार थी, याचिकाकर्ता को कभी प्रदान नहीं की गई। याचिकाकर्ता ऑडी अल्टरम के सिद्धांत का अनुपालन न करने से पूर्वाग्रहग्रस्त था । कार्यकारी समिति ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कार्यकारी समिति द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति अनुशासनात्मक प्राधिकरण की रिपोर्ट को मान्य नहीं करती है। भारत संघ और अन्य बनाम मोहम्मद रमजान खान (1) में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य को इस प्रकार रखा गया: -

''हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां भी कोई जांच अधिकारी रहा है और उसने जांच के निष्कर्ष पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अपराधी को सभी या किसी भी आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है और किसी विशेष सजा के प्रस्ताव के साथ या नहीं, अपराधी ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति पाने का हकदार है और यदि वह

चाहे तो इसके खिलाफ अभ्यावेदन देने का भी हकदार होगा, और रिपोर्ट प्रस्तुत न करना प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन होगा और अंतिम आदेश को चुनौती के लिए उत्तरदायी बना देगा।

(18) उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सेवा नियमों के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सजा का प्रस्ताव करने से पहले दोषी अधिकारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न होने के कारणों को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्नियुक्ति प्राधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन तभी करना होगा जब यह सेवा नियमों से जुड़ा हो। यदि सेवा नियम जांच अधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न होते हुए भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए मौन हैं, तो ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है और कार्रवाई अमान्य नहीं होगी . अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, उन्होंने मुख्य रूप से के.एल. त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (2) में शीर्ष न्यायालय के फैसले और भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़ और अन्य बनाम में इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया। बी आर वैद (3).

(19) माननीय के, एल. त्रिपाठी के मामले में, अपीलकर्ता, जो भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी था, जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था। उन आरोपों के संबंध में जांच की गई और आरोप सिद्ध पाए गए. अपीलकर्ता को प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया गया। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद निर्देश दिया कि उन्हें बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (अधिकारी और सहायक) सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में बर्खास्तगी के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। रिट याचिका केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई कि सेवा नियमों का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं है। शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील में, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ सामग्री उसकी अनुपस्थिति में एकत्र की गई थी और उसे गवाहों से क्रोस इंगजामिन करने की अनुमति नहीं थी। उनके खिलाफ सबूत उनकी उपस्थिति में दर्ज नहीं किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोपों के खिलाफ जवाब देने के बाद ही कारण बताने का अवसर दिया गया था, जो जुर्माना लगाने के लिए उनके पीछे एकत्र की गई सामग्री पर आधारित थे। उठाए गए प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ दिया गया: -

‘‘कार्रवाई में निष्पक्ष खेल की अवधारणा पार्टियों के बीच विशेष संबंधों पर निर्भर होनी चाहिए, यदि कोई हो। यदि गवाही देने वाले या कुछ जानकारी देने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता संदेह में है, या यदि जिस व्यक्ति ने गवाही दी है

उसका संस्करण या बयान, विवाद में क्रोस इंगजामिन का अधिकार अनिवार्य रूप से कार्रवाई में निष्पक्ष कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिए लेकिन जहां तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या नहीं है, वहां कोई आवश्यकता नहीं है कार्रवाई में निष्पक्षता को उचित ठहराने के लिए क्रोस इंगजामिन की जानी चाहिए। जब तथ्यों के सवाल पर कोई विवाद नहीं था, तो जिरह के किसी औपचारिक अवसर की अनुपस्थिति से किसी आदेश से व्यथित पक्ष पर कोई वास्तविक पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है। अपने आप में निष्पक्ष रूप से लिए गए निर्णय को अमान्य या खराब नहीं करता है।''

उस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, यह तर्क खारिज कर दिया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था।

(20) बी. आर. वैद के मामले (सुप्रा) में, दोषी अधिकारी पर जांच कार्यवाही में एक पक्षीय कार्रवाई की गई थी और जांच अधिकारी के कुछ निष्कर्षों से असहमत अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दोषी अधिकारी को दोषी माना और इस असहमति के कारण- उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया। यह आपत्ति कि असहमति के कारणों को अपराधी अधिकारी को सूचित नहीं किया गया था, इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि सेवा नियमों के नियम 51(2) में असहमति के कारणों को प्रस्तुत करने का आदेश नहीं दिया गया था। इससे पहले निर्देश दिया कि उन्हें बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (अधिकारी और सहायक) सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में बर्खास्तगी के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। रिट याचिका केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई कि सेवा नियमों का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं है। शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील में, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ सामग्री उसकी अनुपस्थिति में एकत्र की गई थी और उसे गवाहों से क्रोस इंगजामिन करने की अनुमति नहीं थी। उनके खिलाफ सबूत उनकी उपस्थिति में दर्ज नहीं किए गए थे: उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोपों के खिलाफ जवाब देने के बाद ही कारण बताने का अवसर दिया गया था, जो जुर्माना लगाने के लिए उनके पीछे एकत्र की गई सामग्री पर आधारित थे। उठाए गए प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ दिया गया: -

''कार्रवाई में निष्पक्ष कार्यवाही की अवधारणा पार्टियों के बीच विशेष संबंधों पर निर्भर होनी चाहिए, यदि कोई हो। यदि गवाही देने वाले या कुछ जानकारी देने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता संदेह में है, या यदि जिस व्यक्ति ने गवाही दी है उसका संस्करण या ब्यान, विवाद में है, क्रोस इंगजामिन का अधिकार अनिवार्य रूप से कार्रवाई में निष्पक्ष कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जहां तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या

नहीं है, वहां कोई आवश्यकता नहीं है कार्रवाई में निष्पक्षता को उचित ठहराने के लिए क्रोस इंगजामिन की जानी चाहिए। जब तथ्यों के सवाल पर कोई विवाद नहीं था, तो क्रोस इंगजामिन के किसी औपचारिक अवसर की अनुपस्थिति से किसी आदेश से व्यथित पक्ष पर कोई वास्तविक पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है। अपने आप में निष्पक्ष रूप से लिए गए निर्णय को अमान्य या खराब नहीं करता है।''

उस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, यह तर्क खारिज कर दिया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था।

(20) बी. आर. वैद के मामले (सुप्रा) में, दोषी अधिकारी पर जांच कार्यवाही में एक पक्षीय कार्रवाई की गई थी और जांच अधिकारी के कुछ निष्कर्षों से असहमत अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दोषी अधिकारी को दोषी माना और इस असहमति के कारण- उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया। यह आपत्ति कि असहमति के कारणों को अपराधी अधिकारी को सूचित नहीं किया गया था, इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि सेवा नियमों के नियम 51(2) में असहमति के कारणों को प्रस्तुत करने का आदेश नहीं दिया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी. विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ चर्चा किए गए बिंदु का निपटारा किया: -

''इसके अलावा, जैसा कि पहले देखा गया था, वादी पर पूरी तरह से एकतरफा कार्यवाही की जा रही थी और इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था कि कुछ आरोपों पर जांच अधिकारी के निष्कर्षों को उलटते हुए उसे कोई नया नोटिस जारी किया जाए। '

विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सिविल कोर्ट उन साक्ष्यों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के सवाल पर नहीं जा सकता है जिनके आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने माना है कि अपराधी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं।

(21) बी. आर. वैद के मामले में निर्णय तत्काल मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। इस प्रकार, विद्वान वकील का प्रस्तुतीकरण अस्थिर है। इसके विपरीत, के.एल.त्रिपाठी के मामले (सुप्रा) में दिए गए फैसले की अगर सही परिप्रेक्ष्य में जांच की जाए, तो यह याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करता है और बिंदुओं (प) के तहत मेरे निष्कर्षों के

समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा और (पप) याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया:-

‘‘हमारी राय है कि श्री गर्ग सही हैं कि प्राकृतिक न्याय के नियम, जैसा कि हमने यहां पहले निर्धारित किया है, दोषी अधिकारी को आरोपों के संबंध में सबूत देने या उसके खिलाफ आरोपों से इनकार करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरे, वह प्रस्तुत किया गया कि भले ही नियमों में कोई वैधानिक बल न हो और भले ही पार्टी ने खुद को अनुबंध से बांध लिया हो, क्योंकि उसने कर्मचारी नियम को स्वीकार कर लिया था, वैधानिक नियम के साथ कोई अनुबंध नहीं हो सकता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति से संबंधित घरेलू जांच के मामले में। हम इस संबंध में श्री गर्ग के मूल अनुरोध से सहमत हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हमने यहां जो प्रासंगिक नियम निर्धारित किए हैं, उनका अनुपालन किया गया है, भले ही नियमों में पढ़ा जाता है कि उक्त नियमों में प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं निहित थीं अथवा यदि प्राकृतिक न्याय के ऐसे बुनियादी सिद्धांत निहित थे, तो भी इस मामले में पारित आदेश के संबंध में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक जैसे वैधानिक निगमों के किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल या दंडात्मक परिणामों वाले आदेश के संबंध में, होना चाहिए।

जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप आरोपों की जांच, क्योंकि ये किसी विशेष स्थिति पर लागू होते थे। इसलिए प्राकृतिक न्याय के किसी विशेष सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसका निर्णय आरोप की प्रकृति, ऐसी जांचों को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक या प्रासंगिक नियमों की पृष्ठभूमि में की गई जांच की प्रकृति की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। यहाँ प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत यह थी कि उसे उसकी अनुपस्थिति में एकत्रित सामग्री का खंडन करने का अवसर नहीं दिया गया था। जैसा कि जे.आर. लुकास द्वारा ‘ऑन जस्टिस‘ में देखा गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मूल रूप से, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, वास्तविक वाक्यांश ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम‘ से निकलते हैं, जिसे पहली बार सेंट ऑगस्टीन (डी डुआबस एनिमाबस ग्प्ट) द्वारा तैयार किया गया था। 22, जे.-पी. मिग्ने, पीएल 42,110‘‘

सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने आगे कहा:

‘‘इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होंगे।‘‘

इतना कहने के बाद, बेंच ने पाया कि उस विशेष मामले में, ‘‘अपीलकर्ता उसके खिलाफ की गई प्रारंभिक जांच से जुड़ा था। उसने इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया, जानकारी और सामग्री निस्संदेह उसकी उपस्थिति में एकत्र नहीं की गई थी, लेकिन जो कुछ भी था जानकारी वहां मौजूद थी और एकत्र की गई थी, अर्थात्त, व्यक्तियों के संस्करण, विशेष प्रविष्टियां जिनकी जांच की आवश्यकता थी, उन्हें दिखाया गया था। उन्हें दी गई जानकारी से अवगत कराया गया था

और उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था। उन्होंने उस जांच में भाग लिया। उन्होंने दिया उनका स्पष्टीकरण लेकिन उन्होंने किसी भी तथ्य पर विवाद नहीं किया और न ही उन्होंने इन तथ्यों का खंडन करने के लिए कोई सबूत मांगने का कोई अवसर मांगा। उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा, जैसा कि हमने यहां पहले उल्लेख किया है और उन्हें ऐसा अवसर दिया गया था। उनके स्पष्टीकरण को विधिवत दर्ज किया गया था। उन्होंने यह आरोप नहीं लगाया है कि उनके संस्करण को अनुचित तरीके से दर्ज किया गया है और न ही उन्होंने गवाहों या प्रविष्टियों या उन्हें दिखाए गए पत्रों या दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठाया है, जिन पर आरोप तय किए गए थे और जिन पर उन्होंने दोषी पाया गया।'' मामले के उस दृष्टकोण में यह माना गया कि जांच करने या आरोप तय करने या निर्णय पर पहुंचने में अधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया। यह सकारात्मक रूप से माना गया कि नियम 49 के मद्देनजर कर्मचारी को एक निर्दिष्ट तिथि तक लिखित रूप में यह बताने का अवसर दिया जाना था कि प्रस्तावित जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए उसके खिलाफ आरोप या आरोप, मामले की जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति और प्रस्तावित विशिष्ट दंड के साथ उसे प्रबंध निदेशक या सचिव या कोषाध्यक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, सूचित किया जाएगा। मौजूदा मामले में, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दो छोटी प्रक्रियात्मक खामियों को छोड़कर सभी प्रमुख आरोपों से बरी कर दिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से असहमति जताई और माना कि कुछ आरोप साबित हुए हैं और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उसने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रस्तावित सजा के खिलाफ प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए याचिकाकर्ता को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट या जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया। इस प्रकार, ऊपर बताए गए कारणों के अलावा, इस निर्णय के आधार पर भी, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

(22) माननीय के. एल. त्रिपाठी का मामला इस प्रस्ताव का अधिकार नहीं है कि सेवा नियम वैधानिक नहीं होने के कारण न्यायसंगत नहीं हैं। यहां तक कि, अन्यथा, उत्तरदाताओं के लिए यह आग्रह करना खुला नहीं है कि सेवा नियम गैर-वैधानिक होने के कारण, उनका उल्लंघन न्यायसंगत नहीं होगा। एक कार्यकारी प्राधिकारी को उन मानकों का कठोरता से पालन करना चाहिए जिनके आधार पर वह अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का दावा करता है। प्रशासनिक कानून का यह नियम श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर द्वारा विटारेल्ली बनाम सीटन (4) में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने कहा था:-

‘‘एक कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों का कठोरता से पालन करना चाहिए जिनके आधार पर वह अपनी कार्रवाई का मूल्यांकन करने का दावा करती है। यदि रोजगार से बर्खास्तगी एक परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित है, भले ही ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकताओं से परे उदार हो, तो वह प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए ईमानदारी से देखा जाना चाहिए। प्रशासनिक कानून का यह न्यायिक रूप से विकसित नियम अब दृढ़ता से स्थापित हो गया है और, अगर मैं जोड़ सकता हूं, तो सही है। जो प्रक्रियात्मक तलवार लेता है वह उस तलवार से नष्ट हो जाएगा‘‘ उपरोक्त सिद्धांत को शीर्ष न्यायालय द्वारा ए.एस. अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य (5) में और इसके बाद सुखदेव सिंह और अन्य बनाम भगत राम में दिए गए निर्णयों में भारत में लागू माना गया है।

सरदार सिंह रघुवंशी और अन्य (6), और रमाना दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (7), मुकदमा मे जिसमें शीर्ष न्यायालय ने इस प्रकार कहाः-

‘‘यह प्रशासनिक कानून का सुनिश्ति नियम है कि एक कार्यकारी प्राधिकारी को उन मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का दावा करता है और उनके उल्लंघन में किसी कार्य के अमान्य होने के दर्द पर उसे उन मानकों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। यह नियम श्री जस्टिस फ्रैंकफर्टर द्वारा विटारेल्ली बनाम सीटन, (1959 359 यूएस 535ः 3 एलईडी 22 डी 1012) में प्रतिपादित किया गया था।‘‘

शीर्ष न्यायालय द्वारा बी.एस. मिन्हास बनाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान और अन्य (8) मामले में इस नियम का फिर से पालन किया गया। कानून के इस नियम के आलोक में, प्रतिवादी बैंक यह आग्रह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि उससे सेवा नियमों का अनुपालन नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, मैं इस मामले पर अंतिम राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं रखता कि सेवा नियम गैर-वैधानिक होने के कारण, इसका अनुपालन न करना इस याचिका में न्यायसंगत नहीं होगा। मामले की जांच किसी अन्य उचित मामले में की जाएगी।‘

(23) प्रतिवादी-बैंक के विद्वान वकील ने यह बताने के लिए कुछ अन्य अधिकारियों का भी हवाला दिया कि सेवा नियमों द्वारा परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, सेवा नियमों के नियम 50(3)(पपप) का प्रावधान अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह आदेश नहीं देता है कि वह दोषी अधिकारी को जांच रिपोर्ट के साथ मतभेद करते समय उसके द्वारा भरोसा की गई सामग्री बताए। मोहम्मद ईशाक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की ताजा घोषणा के मद्देनजर उन फैसलों का कोई संदर्भ नहीं दिया जा रहा है। रमजान खान का मामला (सुप्रा), जिसका विस्तृत संदर्भ इस फैसले के पहले भाग में किया गया है। उन निर्णयों का उल्लेख करना सरासर निरर्थकता का प्रयास होता। इसके अलावा, सेवा नियम को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को

शामिल किया गया हो। अनुशासनात्मक प्राधिकारी दोषी अधिकारी या पदाधिकारी के विरुद्ध किसी भी सामग्री का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे इसके बारे में सूचित न कर दिया गया हो और उसके पास इसे पूरा करने का अवसर न हो।

(24) बिंदु क्रमांक (पपप):

(25) जैसा कि ऊपर कहा गया है, जांच अधिकारी, जिसे शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के तहत नियुक्त किया गया था और जो वरिष्ठ था। तमिलनाडु कैडर से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य, ने पाया कि दंडाधिकारी पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए (दो प्रक्रियात्मक नियमों को छोड़कर)। अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3 ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति जताई और जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया, लेकिन यह निष्कर्ष निकला कि याचिकाकर्ता स्वेच्छा से गया था। बैंक को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कुछ बाहरी पार्टियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के रास्ते से बाहर निर्णय के पहले भाग में पुनरुत्पादित अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने लेनदेन से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाया। उनके इस कृत्य से बैंक को कोई वित्तीय हानि भी नहीं हुई। हालाँकि, उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, इसने अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-प्ट के कैडर में कटौती और उन्हें उस स्केल के सबसे निचले स्तर पर रखने के बड़े दंड की सिफारिश की। सजा बहुत कड़ी है। याचिकाकर्ता, जिसे 27 अगस्त, 1980 को प्रतिवादी-बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा शीर्ष कार्यकारी ग्रेड टप् में पदोन्नत किया गया था,। अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-प्ट के कैडर में घटा दिया गया और सबसे निचले स्थान पर रखा गया। उस वेतनमान के चरण में, इस प्रकार उन्हें न केवल उस ग्रेड से दो ग्रेड नीचे लाया गया जिस पर उन्हें पहले तैनात किया गया था, बल्कि उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवा का लाभ भी खो दिया। लगाई गई सजा उसके खिलाफ साबित किए गए आरोपों के अनुपात से बाहर है। खासकर तब जब अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी नंबर 3 ने पाया है कि याचिकाकर्ता को लेनदेन से कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ या बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। वर्कमेन ऑफ भारत फ्रिट्ज वर्नर (पी) लिमिटेड बनाम भारत फ्रिट्ज वर्नर (पी) लिमिटेड और अन्य (9) मामले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘‘उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए खुला है कि इसके लिए पर्याप्त सजा क्या होगी।‘‘ कदाचार श्रमिकों द्वारा किया गया पाया गया।‘‘ ये टिप्पणियाँ उन कामगारों के संदर्भ में थीं जिनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं। एक औद्योगिक विवाद उठाए जाने पर, मामले को

अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण, बैंगलोर को निर्णय के लिए भेजा गया, जिसने निम्नलिखित मुद्दे को तैयार किया, जिसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में लिया गया: -

‘‘क्या संदर्भ के क्रम में नामित 15 श्रमिकों के खिलाफ की गई घरेलू जांच निष्पक्ष और उचित थी और द्वितीय-पक्ष के स्थायी आदेशों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार थी?‘‘

ट्रिब्यूनल ने प्रबंधन के खिलाफ प्रारंभिक मुद्दे का फैसला किया और माना कि जांच निष्पक्ष और उचित नहीं थी। प्रबंधन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में ट्रिब्यूनल के आदेश की आलोचना की थी। छापे की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, ट्रिब्यूनल ने 25 जनवरी, 1982 के आदेश के तहत एक अंतरिम पुरस्कार दिया और प्रबंधन को निर्देश दिया कि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी को कुल परिलब्धियों का तीन-चैथाई भुगतान किया जाए जो वे उस समय प्राप्त कर रहे थे। संदर्भ के अंतिम निपटारन तक 1 जनवरी 1982 को निर्वाचित इरोम के साथ उनकी बर्खास्तगी की। उक्त अंतरिम पुरस्कार को प्रबंधन द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ट्रिब्यूनल के इस निर्णय से सहमत नहीं थे कि जांच अधिकारी द्वारा की गई एक पक्षीय जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी, और यह माना कि कर्मचारियों को अपने उद्दंड रवैये के लिए खुद को दोषी ठहराना होगा और ऐसा नहीं था वे यह तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं कि जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालाँकि, उन्होंने माना कि जाँच कानूनी रूप से खराब थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित महसूस करते हुए, प्रबंधन और श्रमिकों दोनों ने अपील दायर की, जिसे एक डिवीजन बेंच ने निपटा दिया और माना कि पांच कर्मचारी गलत तरीके से राष्ट्रपति को बंधक बनाने और उन्हें नोटिस वापस लेने के लिए मजबूर करने के दोषी थे। विद्वान न्यायाधीशों का विचार है कि कदाचार के इन दो कृत्यों के लिए, उक्त पांच कर्मचारी बर्खास्तगी के अत्यधिक दंड के पात्र नहीं हैं और निर्देश दिया कि उन्हें काम पर वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन पिछली मजदूरी के एक हॉल के भुगतान के साथ। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले से व्यथित महसूस करते हुए, प्रबंधन के साथ-साथ कर्मचारी भी शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील में चले गए। शीर्ष न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधानों के आलोक में सजा की मात्रा की जांच की और पाया कि उच्च न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि मामले के सिद्ध तथ्यों पर सजा उचित थी या नहीं। उसी सादृश्य पर, मेरा मानना है कि मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को न केवल गंभीर बल्कि बहुत कठोर सजा दी गई है और फाइल पर साबित तथ्यों से इसकी गारंटी नहीं थी। याचिकाकर्ता को आठ साल से अधिक समय तक पीड़ा झेलनी पड़ी है। यदि पीड़ा को अभी और आने वाले समय के लिए रोक दिया जाए तो इससे न्याय का लक्ष्य पूरा होगा। जांच रिपोर्ट के बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई सभी कार्यवाही बिंदु संख्या (प) और (11) के तहत मेरे निष्कर्ष के मद्देनजर शून्य हैं। याचिकाकर्ता को उसके द्वारा की गई प्रक्रियात्मक अनियमितता के लिए एक दशक से अधिक समय तक पीड़ा सहनी पड़ी। जब उनके खिलाफ जांच शुरू

हुई तो वह अपने पद पर बहाल होने के हकदार थे। हालाँकि, बिंदु संख्या (1) और (पप) के तहत मेरे निर्णय को देखते हुए इस बिंदु के तहत निर्णय ज्यादा मायने नहीं रखेगा।

(26) बिंदु संख्या (अप)ः

(27) बिंदु संख्या (1) और (पप) के तहत मेरे निष्कर्ष के मद्देनजर, मैं इस बिंदु पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं और इसे किसी अन्य उचित मामले में निपटाया जाएगा। हालाँकि, मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि प्रतिवादी-बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार एक प्रभावी उपाय होना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता। अपील की सुनवाई बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की जानी है और कार्यकारी समिति के सदस्य भी केंद्रीय बोर्ड का गठन करते हैं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपील की सुनवाई के समय कार्यकारी समिति के सदस्यों की गैर-भागीदारी अपील पर प्रभावी विचार नहीं होगी। वर्तमान मामले में, यह पता चलता है कि कार्यकारी समिति और केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों की एक ही दिन बैठक हुई और जब याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर विचार करने का समय आया, तो कार्यकारी समिति के सदस्य बैठक से हट गये और अन्य सदस्यों ने विचार-विमर्श कर अपील का निपटारा कर दिया। इस कोर्स की जितनी सराहना की जाये कम है. हालाँकि, चूँकि मैं मामले को किसी अन्य उचित मामले में निर्णय के लिए खुला छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं इस मामले में कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रहा हूँ।

(28) बिंदु संख्या (ट) और (अप)ः

(29) मैं इस बिंदु पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं कि अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3, नियुक्ति प्राधिकारी नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है या इस याचिका में उसके खिलाफ सजा का प्रस्ताव नहीं कर सकता है। किसी अन्य उचित कार्यवाही में मामले की जांच की जाएगी। परिणामस्वरूप, बिंदु संख्या (अ) और (अप) अनिर्णीत रह गए हैं

(30) बिंदु संख्या (अपप)ः

(31) अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3 ने सिफारिश की कि याचिकाकर्ता द्वारा जुलाई, 1881 से अप्रैल 1986 के अंत तक निलंबन के तहत बिताई गई अवधि को इस तरह माना जाए कि वह पहले से ही प्राप्त निर्वाह भत्ते के भुगतान का हकदार हो। इस निष्कर्ष को कार्यकारी समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित किया गया था: -

4. निलंबन अवधि के संबंध में कार्यकारी समिति निम्नानुसार आदेश देती है:-

(ए) श्री डी. सी. अग्रवाल द्वारा जुलाई 1981 से अप्रैल 1986 तक निलंबन के तहत बिताई गई अवधि, जिसके बैंक के खिलाफ दायर किए गए अदालती मामलों में रोक के आदेशों के कारण जांच की कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तो इसे इस तरह माना जाएगा और वह 'केवल निर्वाह भत्ते के भुगतान का हकदार होगा जो उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है।'

यह मानने के कारण कि याचिकाकर्ता केवल निर्वाह भत्ते के भुगतान का हकदार होगा, पूरी तरह से अवैध है। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की और कार्यवाही स्थगित करने से इनकार कर दिया जब उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। जांच अधिकारी की कार्रवाई को दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1955ध्1983 में असफल रूप से चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में अपील में, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ मिलकर एक जांच अधिकारी को नए सिरे से नियुक्त किया जाए, जो जांच का निपटान करेगा। जांच कार्यवाही के समापन में देरी, यदि कोई हो, के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि दोष उत्तरदाताओं का है। जांच अधिकारी, जिसे याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा नियुक्त किया गया था तथा निष्पक्षता से कार्य नहीं किया। यही कारण है कि शीर्ष अदालत ने मामले में हस्तक्षेप किया और नये जांच अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया. शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बैंक ने तमिलनाडु कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ सदस्य श्री ए. मैं इन कार्यवाहियों में बैंक के आचरण के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है कि बैंक ने 'राज्य' की अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं किया है, जिससे कम से कम नागरिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद की जाती है। मनमाने ढंग से नहीं. यह निर्देश कि जुलाई 1981 से अप्रैल 1986 तक याचिकाकर्ता केवल निर्वाह भत्ते के भुगतान का हकदार होगा, कानून में कायम नहीं रखा जा सकता।

(32) उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका सफल होती है। 31 अक्टूबर, 1987 को अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश में जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति व्यक्त की गई और अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-प्ट के कैडर में कटौती और उन्हें सबसे निचले स्थान पर रखने का बड़ा जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया। उस पैमाने का और आगे सिफारिश करते हुए कि जुलाई 1981 से अप्रैल 1986 तक निलंबन अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता केवल जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान का हकदार होगा। 4 नवंबर 1987 के पत्र द्वारा कार्यकारी समिति के आदेश से अवगत कराया गया। याचिकाकर्ता पर अनुशासनात्मक प्राधिकारीध्प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अनुशंसित बड़ा जुर्माना लगाया गया और याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील पर केंद्रीय बोर्ड के अपीलीय आदेश पारित किया गया, - दिनांक 20 मार्च के पत्र के माध्यम से, 1989 को रद्द कर दिया गया है। अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल प्ट के पद पर पदावनति के आदेश को रद्द कर दिया गया है, 24 नवंबर, 1989 के आदेश द्वारा की जाने वाली मकान किराए की अतिरिक्त वसूली को भी लागत के साथ रद्द कर दिया गया है। वकील की फीस रुपये निर्धारित की गई है। 1,000/-. प्रतिवादी नंबर 1 को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर सभी परिणामी लाभों के साथ इस निर्णय को प्रभावी करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा